12/6/15 वकील वादी और हाजीर, वादी व्यक्ति गैर हाजीर

पंजीयन कैम्प कार्ड सरगांव में
पेश है कैम्प कार्ड में पंजीयन रद्द होने
का नोटिस प्राप्त हुआ मि० वकील प्रतिवादी
आ० वादी नोटिस लेने से इन्कार होने
का लिख देना बताया है वकील प्रतिवादी
ने प्रार्थना पत्र पेश कर बताया की वादी अपने
हित का बयान कर चुका है जमीन बेच
चुका है बयान की प्रति संलग्न कर निवेदन
है कि वादी का वाद चलने योग्य नहीं है
एवं वादी आवश्यक है इसलिये वादी का वाद
खारिज फरमावें। वादी बावजूद इत्तला के गैर
हाजीर वादी के वकील गैर हाजीर वादपत्र
एवं वकील प्रतिवादी की बहस एवं संलग्न दस्तावेज
आदि का अवलोकन करने पर वादी गैर हाजीर
होने पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने
से वाद इकतरफा इकतरफे के खारिज
किया जाता है। फाइल नम्बर रद्द कर दफ्तर
दाखिल हो। निर्णय सुनाया गया।

नियत आज दिनांक 12/6/15 को सरे इजलास
कैम्प कार्ड सरगांव के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)